बिहारीगंज - 178/2025

22.05.2026

अभिलेख आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखा।

अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह केस सूचक राजू कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध B.N.S. की धारा - 303(2) के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम प्रतिवेदन B.N.S. की धारा- 303(2) के तहत के तहत समर्पित किया गया है।

अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। विदित होता है कि अनुसंधानकर्ता ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन सत्य-सूत्रहीन समर्पित किए हैं। विद्वान अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा सही दिशा में अनुसंधान किया गया है। संपूर्ण कांड दैनिकी में वाद की अग्रेतर कारवाई हेतु कोई आधार/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा वाद की अग्रिम कारवाई समाप्त की जाती है। कार्यालय अभिलेख को अगले आदेश तक विनष्ट नहीं किए जाने के निर्देश के साथ नियमानुसार अभिलेखागार में जमा सुनिश्चित करें।

अनु० न्या० दं०